

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम को
में जारी

02/12/17

पत्रावली पेश आई। पत्रावली का इवलोकन
करके या साफ़े काम की 2 वर्ष लेखित
का समय लेने के उपरान्त भी लामील
नहीं कवाली गयी है जिससे धरीत होना
है कि वादी का वाद चलाने में कोई
रुकी नहीं है। अतः अब पर आदेश
09 दिनांक 05/12/17 के तहत खारीत
क्रियाकार है। पत्रावली फौजल शुभल होकर
जायल ले कर ले वाद लामील डालील
यफतल हो

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरजगढ़

नर्सरीक जगदुध । हेतु उठे क्रियाकार जायल
जाक जगदुध शिकुडीक लीजावलि । क्रियाकार
क्रियाकार जायली । ई प्रप जायल \ ई जायल में
कि कावली प्रावतुलकईतल हत
। दि 17/12/17